कार्यालय जनपद न्यायाधीश कासगंज।

कोटेशन सूचना

एतदद्वारा सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है, माननीय जनपद न्यायाधीश कासगंज के अनुमोदित आदेश दिनांकित 05.02.2024 के अनुपालन में जनपद न्यायालय कासगंज में स्थापित KIOSK मशीन जिसकी वारंटी समाप्त हो चुकी है उक्त KIOSK मशीन की मरम्मत के सम्बन्ध में अधिकृत पंजीकृत डीलर/फर्मो से सम्बन्धित KIOSK मशीन के परीक्षण के उपरान्त पूर्ण विवरण सहित कोटेशन आमंत्रित किये जाते है। मरम्मत योग्य KIOSK मशीन का विवरण निम्नवत है।

क्र0 सं0	विवरण	उपकरण की संख्या
1	KIOSK मशीन	01 नग (KIOSK मशीन)

उक्त अधिकृत पंजीकृत डीलर/फर्मो को कोटेशन में दी गयी शर्तो का कड़ाई से पालन करना होगा। नियम एवं शर्ते निम्नवत हैं।

1- कोटेशन बंद लिफाफे में जनपद न्यायाधीश कासगंज के कार्यालय केन्द्रीय नजारत कासगंज में दिनाक 12.02.2024 तक (कार्यालय समय 10.00 बजे से 4.00 बजे तक) अंतिम रूप से स्वीकार किये जायेगे।

2- कोटेशन दिनांक 12.02.2024 को सायंकाल 4.30 बजे क्रय समिति जनपद न्यायायल कासगंज के समक्ष खोले जायेगे।

3- किसी भी कोटेशन को स्वीकार अथवा अस्वीकार करने का पूर्ण अधिकार माननीय जनपद न्यायाधीश कासगंज का होगा।

4- किसी भी कोटेशन को बिना कोई कारण बताये माननीय जनपद न्यायाधीश कासगंज द्वारा निरस्त किया जा सकता है।

5- कोटेशन खोलने के समय फर्म का एक प्रतिनिधि उपस्थित हो सकता है।

6- कोटेशन में दिये गये मूल्य के अतिरिक्त कोई भी भुगतान जैसे किराया इत्यादि अन्य कोई व्यय देय नहीं होगा।

7- भुगतान KIOSK मशीन की मरम्मत के उपरान्त ही किया जायेगा विलम्ब होने पर कोई अतिरिक्त शुल्क देय नहीं होगा।

8- कोटेशन में किसी प्रकार के विवाद की स्थिति में न्यायालय का क्षेत्राधिकार जनपद न्यायालय कासगंज में होगा।

9- कोटेशन खोलने के उपरान्त किसी भी आपत्ति पर विचार नहीं किया जायेगा।

10- कोटेशन से सम्बन्धित विस्तृत जानकारी कार्यालय केन्द्रीय नजारत जनपद न्यायालय कासगंज से किसी भी कार्य दिवस में समय प्रातः 10:00 बजे से सायं 5:00 बजे तक ली जा सकती है।

दिनांक- .02.2024

(गगन कुमार भारती)
अध्यक्ष क्रय समिति/
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कक्ष सं0- 03
कासगंज।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

01- जिला सूचना अधिकारी कासगंज के शासनादेश सं0- 562/ उन्नीस - 2-2007-1007 (T.C) दिनांकित 04.07.2007 के अनुरूप समस्त स्थानीय समाचार पत्रों में निःशुल्क प्रकाशित कराये जाने एवं सूचनापट पर चस्पा किये जाने हेतु।

2- 18 न्यायालय कक्ष भवन जजी कासगंज के नोटिस बोर्ड पर चस्पा किये जाने हेतु।

3- कलेक्ट्रेट कासगंज के सूचनापट पर चस्पा किये जाने हेतु।

4- समस्त सार्वजनिक स्थान कासगंज पर चस्पा करने हेतु।

5- नोडल अधिकारी कम्प्यूटर को जनपद न्यायालय कासगंज एवं माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।

05.02.24

दिनांक-05.02.2024

(गगन कुमार भारती)
अध्यक्ष क्रय समिति/
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कक्ष सं0- 03
कासगंज।